उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

ालय [illegible]

फर्द अहकाम

ा 196/22 बनाम गौरीलाल

[illegible] 320/2024

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
14/2/25	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वास्ते इन्तजार कुरैजात रिपोर्ट हेतु दिनांक 21/2/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उप-खण्ड अधिकारी जयपुर (द्वितीय)	
21/2/25	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप. है। कुरैजात रिपोर्ट प्राप्त है जो कुरैजात पर बहस हेतु दिनांक 28/2/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	
28/2/25	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप. वकील वादी की कुरैजात रिपोर्ट पर बहस सुनी गई। वादी का वाद मुताबिक तहसील सांगानेर से प्राप्त कुरैजात अनुसार डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। सुनाया गया। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी सांगानेर जयपुर (द्वितीय)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर), जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम: हिम्मत सिंह, आर.ए.एस.
वाद पत्र संख्या: 320 / 2024
निर्णय दिनांक: 28.02.2025

उनवान

जगदीश चन्द्र मीणा पुत्र श्री रामपाल मीणा, जाति मीणा, आयु 58 वर्ष, निवासी प्लॉट नम्बर बी—42, बजाज नगर, जयपुर।

वादी

बनाम

1. भौरी लाल पुत्र पांचूराम मीणा, जाति मीणा, आयु 72 वर्ष, निवासी मीणा कॉलोनी, टोंक रोड, दुर्गापुरा, जयपुर।
2. मोतीलाल मीणा पुत्र गोविन्दा मीणा, जाति मीणा, आयु 34 वर्ष, निवासी भोणावत निवास, सिद्धार्थ नगर—सी, सवाई गैटोर, इन्द्रलोक गार्डन के पास, जगतपुरा, जयपुर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

पत्रावली पेश हुयी। बहस वादी अधिवक्ता सुनी गई। बहस वादी अधिवक्ता पर मनन किया व पत्रावली मे दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी का वाद तकासमा का है तथा हाल राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया वादी एवं प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है, वादी उक्त आराजीयात का मिटस एण्ड बाउण्डस एवं मौके पर कब्जे काश्त के अनुसार तकासमा करवाना चाहता है, बहस वादी अधिवक्ता एवं पत्रावली का अवलोकन किये जाने पर वादी का वाद प्रतिवादीगण के विरूद्ध दिनांक 29.11.2024 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार सांगानेर को कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा तीन तीन प्रतियों में पेश किये जाने का आदेश पारित किया। तहसीलदार सांगानेर द्वारा पत्र क्रमांक/भू.अ./डिक्री/2025/285 दिनांक 07.02.2025 संलग्न कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शे तीन प्रतियों में प्रस्तुत की जो शामिल मिसल है। वकील वादी अधिवक्ता ने कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार वाद में अन्तिम डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया। बहस वादी अधिवक्ता सुनी गई। वादी अधिवक्ता द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट पर सहमति दिये जाने से वादी का वाद मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट वाद में अन्तिम डिक्री पारित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः वादग्रस्त आराजियात कृषि भूमि खसरा नम्बर 6 रकबा 0.1500 है0, खसरा नम्बर 7 रकवा 0.3100 है0, खसरा नम्बर 8 रकबा 0.5600 है0, कुल किता 3 कुल रकवा 1.0200 है0 वाके ग्राम दयालपुरा, पटवार हल्का मोहनपुरा,

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

भू–अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र वाटिका, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित है का विभाजन मुताबिक राजस्व रिकार्ड एवं प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार निम्न प्रकार किया जाता है:–

राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी के अनुसार इन्द्राज					
क्र.सं.	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म जमीन	लगान	खातेदारो का नाम व पिता का नाम
1	6 7 8	0.1500 0.3100 0.5600	चाही 1 जाव 1 चाही 1 जाव 1 चाही 1 जाव 1		गोविन्दा पु त्र हीरालाल हिस्सा 9/8, नारायणी देवी पत्नी स्व. पांचूराम हिस्सा 1/16, भौरीलाल पुत्र पांचूराम हिस्सा 1/16, समस्त जाति मीणा सा. दुर्गापुरा खातेदार, जगदीश चन्द्र पुत्र रामपाल हिस्सा 1/2 जाति मीणा सा. मकान नम्बर 42, बजाज नगर, जयपुर खातेदार
	किता 3	1.0200			

प्रस्तावित कुर्रेजात इन्द्राज				
क्र.स.	खसरा नम्बर	रकबा	खातेदारो का नाम व पिता का नाम	किस्म
1	6 मिन. 7 मिन. 8 मिन.	0.0760 0.1560 0.2780	जगदीश चन्द्र पुत्र रामपाल, जाति मीणा सा. मकान नम्बर 42, बजाज नगर, जयपुर खातेदार।	चाही 1 चाही 1 चाही 1
	किता–03	0.5100		
2	6 मिन. 7 मिन. 8 मिन.	0.0740 0.1540 0.2820	गोविन्दा पु त्र हीरालाल हिस्सा 3/4, नारायणी देवी पत्नी स्व. पांचूराम हिस्सा 1/8, भौरीलाल पुत्र पांचूराम हिस्सा 1/8, समस्त जाति मीणा सा. दुर्गापुरा खातेदार।	चाही 1 जाव 1 चाही 1 जाव 1 चाही 1 जाव 1
	किता–03	0.5100		

तहसीलदार सांगानेर को आदेश दिया जाता है कि उपरोक्तानुसार विवादग्रस्त आराजी का तकासमा मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट किया जाकर अलग–अलग खाता व लगान कायम किये तथा कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्शे की प्रति बाद अनुमोदन उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जाने हेतु तहसीलदार सांगानेर को भिजवाई जावें। इसी अनुरूप अन्तिम डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम किया जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.02.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर–द्वितीय (सांगानेर),
जयपुर।

अन्तिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय सांगनेर मुकाम जयपुर व इजलास हिम्मत सिंह, आर.ए.एस.

वाद पत्र संख्या : 320 / 2024

जगदीश चन्द्र मीणा पुत्र श्री रामपाल मीणा, जाति मीणा, आयु 58 वर्ष, निवासी प्लॉट नम्बर बी–42, बजाज नगर, जयपुर।

वादी

बनाम

1. भौरी लाल पुत्र पांचूराम मीणा, जाति मीणा, आयु 72 वर्ष, निवासी मीणा कॉलोनी, टोंक रोड, दुर्गापुरा, जयपुर।
2. मोतीलाल मीणा पुत्र गोविन्दा मीणा, जाति मीणा, आयु 34 वर्ष, निवासी भोणावत निवास, सिद्धार्थ नगर–सी, सवाई गैटोर, इन्द्रलोक गार्डन के पास, जगतपुरा, जयपुर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी, जयपुर द्वितीय सांगानेर व हाजिरी वकील वादी मिन जानिब मुदई रूबरू मिन जानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि अतः वादग्रस्त आराजियात कृषि भूमि खसरा नम्बर 6 रकबा 0.1500 है०, खसरा नम्बर 7 रकबा 0.3100 है०, खसरा नम्बर 8 रकबा 0.5600 है०, कुल किता 3 कुल रकबा 1.0200 है० वाके ग्राम दयालपुरा, पटवार हल्का मोहनपुरा, भू–अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र वाटिका, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित है का विभाजन मुताबिक राजस्व रिकार्ड एवं प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार निम्न प्रकार किया जाता है:–

राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी के अनुसार इन्द्राज					
क्र.सं.	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म जमीन	लगान	खातेदारो का नाम व पिता का नाम
1	6 7 8	0.1500 0.3100 0.5600	चाही 1 जाव 1 चाही 1 जाव 1 चाही 1 जाव 1		गोविन्दा पु त्र हीरालाल हिस्सा 9/8, नारायणी देवी पत्नी स्व. पांचूराम हिस्सा 1/16, भौरीलाल पुत्र पांचूराम हिस्सा 1/16, समस्त जाति मीणा सा. दुर्गापुरा खातेदार, जगदीश चन्द्र पुत्र रामपाल हिस्सा 1/2 जाति मीणा सा. मकान नम्बर 42, बजाज नगर, जयपुर खातेदार
	किता–3	1.0200			

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

क्र.स.	खसरा नम्बर	प्रस्तावित कुर्रेजात इन्द्राज		
		रकबा	खातेदारो का नाम व पिता का नाम	किस्म
1	6 मिन. 7 मिन. 8 मिन.	0.0760 0.1560 0.2780	जगदीश चन्द्र पुत्र रामपाल, जाति मीणा सा. मकान नम्बर 42, बजाज नगर, जयपुर खातेदार।	चाही 1 चाही 1 चाही 1
	किता–03	0.5100		
2	6 मिन. 7 मिन. 8 मिन.	0.0740 0.1540 0.2820	गोविन्दा पु त्र हीरालाल हिस्सा 3/4, नारायणी देवी पत्नी स्व. पांचूराम हिस्सा 1/8, भौरीलाल पुत्र पांचूराम हिस्सा 1/8, समस्त जाति मीणा सा. दुर्गापुरा खातेदार।	चाही 1 जाव 1 चाही 1 जाव 1 चाही 1 जाव 1
	किता–03	0.5100		

तहसीलदार सांगानेर को आदेश दिया जाता है कि उपरोक्तानुसार विवादग्रस्त आराजी का तकासमा मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट किया जाकर अलग–अलग खाता व लगान कायम किये तथा कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्शे की प्रति बाद अनुमोदन उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जाने हेतु तहसीलदार सांगानेर को भिजवाई जावें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 28.02.2025 को जारी की गई।

मुहर

उपखण्ड अधिकारी
दस्तखत..............................
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)
ओहदा..................................

मुदई	रुपये	पैसे	मुदायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वहसबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान	1	00	स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प अर्जी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान	1	0 0

नोट : इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हरदी फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)